

Order Sheet [Contd]

Case No. 18.3 . or 20 . 17.

Signature of Date of Parties or Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Pleaders where Proceeding necessary 09-12-17 प्रकरण तेशानल लोक अवालत विनांक 09.12.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री पी०एस० गुर्जर। फरियादी राकेश उपस्थित। फरियादी की ओर से राजीनामा हेत् अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर एवं अभियक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री पी०एस० गुर्जर ने की। उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्तगण पर भादिवा की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते ह्ये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण को धारा 294, 323 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

> आदेश की प्रति पक्षकारों को निःश्लक प्रदाय की जावे। . प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

Amily by me